राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–06 / 2025
सूरज कुमार बनाम् शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी।
वाद संख्या–31 / 2025
धीरज कुमार बनाम् शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी।

यह वाद श्री सूरज कुमार, पिता–श्री राजी प्रसाद मेहता, पता–नासरीगंज, मिथिला कॉलोनी, पठान टोली के पीछे, थाना–दानापुर, जिला पटना एवं श्री धीरज कुमार, पिता–श्री चनारिक राय, मोहल्ला–दिघा घाट, अल्पना सिनेमा हॉल के पीछे, थाना–दानापुर, जिला–पटना द्वारा श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी, पति–स्व0 दीपक कुमार, वार्ड सं0–29, नासरीगंज थाना–दानापुर, जिला–पटना (वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर परिषद् दानापुर, निजामत, पटना) के विरुद्व **बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) के तहत निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया** Holding Tax को अदा नहीं करने तथा उक्त अधिनियम के धारा–445 के तहत अपने एवं आश्रितों के परिसम्पत्ति का विवरण सही–सही नामांकन पत्र में अंकित नहीं करने के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर परषिद्, दानापुर, पटना के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री सूरज कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन एवं श्री श्याम किशोर एवं वादी श्री धीरज कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार दूबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री पुष्पेश कुमार, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच, पटना को प्राधिकृत किया गया।

अभिलेखों के सत्यापन हेतु मूल अभिलेख एवं पंजी के साथ श्री पंकज कुमार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर उपस्थित हुए।

3. वादियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में अपने तथा अपने पति के परिसम्पतियों का सही–सही विवरण अंकित नहीं किया गया तथा उनके द्वारा सभी परिसम्पतियों का बकाया Holding Tax अदा नहीं किया गया जबकि नामांकन के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक सभी बकाया Holding Tax अदा करना बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) तहत अनिवार्य है।

आगे उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में वाद पत्र में संलग्न किये गये कुल 10 परिसम्पतियों के कैवाला (Sale deed) का अवलोकन आयोग को कराया गया तथा यह दावा किया गया कि यह सभी परिसम्पतियाँ श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के नाम पर दर्ज है अथवा उनके पति के नाम पर दर्ज है। उनके द्वारा आयोग को यह बताया गया कि नामांकन के पूर्व उनके पति श्री दीपक कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। अतः अपने पति के परिसम्पतियों की स्वभाविक उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें उन सम्पतियों का भी Holding Tax अदा करना अनिवार्य था, जो कि उनके पति के नाम पर दर्ज है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके दावे का समर्थन जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन से भी होता है। उनके द्वारा आयोग का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया गया कि Deed No 10005 dated- 13.12.2010 स्वयं शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के नाम से है।

जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित है कि उक्त भूखण्ड का बकाया Holding Tax प्रतिवादी द्वारा अदा नहीं किया गया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा आयोग को बताया गया कि Deed No 10005 dated- 13.12.2010 से संबंधित उनके मुवक्किल के विरूद्ध किसी प्रकार का Tax Demand Raise नहीं किया गया था। अतः उनके द्वारा इसे जमा करने की कोई आवश्यकता तबतक नहीं थी, जबतक कि उन्हें Demand Notice प्राप्त न हो। अपने दावें के समर्थन में C.W.J.C. No-19245/2024, Kishmati Devi VS. Bihar State and Others मामले में उल्लेखित किये State Election Commission, Bihar and Ors. Vs. Manager Prasad मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के संगत अंशों का वाचन किया गया तथा उक्त न्यायादेशों की प्रति आयोग को उपलब्ध करायी गयी।

आगे उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) का वाचन किया गया है तथा इसमें प्रयोग किये गये "Due by Him" शब्द पर विशेष बल दिया गया तथा यह दावा किया गया कि बकाया तभी हो सकता है, जब Demand हो।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर परिषद् दानापुर द्वारा कभी उनके विरूद्ध Demand Raised नहीं किया गया, इसके उलट उनके मुवक्किल को No Dues Certificate प्राप्त है, जो प्रमाणित करता है कि उनके विरूद्ध कोई Holding Tax बकाया नहीं था। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि यह नगर परिषद् का दायित्व है कि वह Tax Demand Raised करें।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रमाणित है कि इनके द्वारा सभी परिसंपतियों का बकाया Holding Tax ससमय जमा कर दिया गया था, केवल Deed No 10005 dated- 13.12.2010 का Holding Tax, Holding कायम नहीं रहने एवं Demand नहीं किये जाने के कारण अदा नहीं किये जा सकें।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जो संपतियाँ उनके पति के नाम से दर्शायी जा रही है, वह D.K. Properties के नाम से दर्ज है, जिसके Proprietor स्व0 दीपक कुमार है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी संपति के Proprietor की मृत्यु के उपरांत उसके आश्रित शतप्रतिशत उत्तराधिकारी नहीं हो सकते है, या यह भी हो सकता है कि उस संपति में उन्हें कुछ भी प्राप्त न हो।

वादी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिवादी के लिखित एवं मौखिक तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा समर्पित Holding Tax Receipt Back dating कर स्थानीय पदाधिकारियों के मिली–भगत से निर्गत कराया गया है। उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में आयोग को बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2443, दिनांक–08.09.2022 द्वारा नगर परिषदों को Offline mode में Holding Tax प्राप्त करने की छूट प्रदान की गयी थी, अर्थात् दिनांक–08.09.2022 के पूर्व उन्हें Offline mode में Holding Tax प्राप्त नहीं करना था, जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में समर्पित सभी प्राप्ति रसीद अगस्त माह, 2022 में निर्गत है, इससे यह प्रमाणित है कि उक्त सभी Holding Tax प्राप्ति रसीद वैध नहीं है। उनके द्वारा आगे यह भी बताया कि प्रतिवादी को निर्गत किये गये सभी Holding Tax प्राप्ति रसीद में Property I.D. अंकित नहीं है, जबकि बिना Property I.D. अंकित किये यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किस Property के लिए Holding Tax अदा किया

गया है, अथवा अदा किया गया Holding Tax सरकारी खजाने में किस संपति के विरूद्ध जमा है।

उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में यह दर्शाया गया है कि वह वार्ड संख्या–29 में निवास करती हैं, जबकि उनके द्वारा मकान संख्या–245, वार्ड संख्या–27 Holding Tax अदा करने का बकाया रहित प्रमाण–पत्र जमा किया गया है, स्पष्ट है कि प्रतिवादी के द्वारा वार्ड संख्या–29 में स्थित Holding का Tax जमा नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के उक्त तर्कों का प्रतिवाद करते हुए, आयोग को बताया गया कि बकाया रहित प्रमाण–पत्रों की Legality आयोग द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती है। जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन भी परस्पर विरोधाभाषी है तथा उक्त सभी तथ्य Disputed Question of Facts को जन्म देते है, जिसे आयोग के स्तर पर रजनी कुमारी वाद के आलोक में Adjudicate नहीं किया जा सकता।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–469/निर्वा, दिनांक–16.02.2026 एवं पत्रांक–901/निर्वा, दिनांक–01.04.2026 तथा पत्रांक–903/निर्वा, दिनांक–02.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है:–**

(क)

क्र0सं0	वादी द्वारा दिए गए संपत्ति का विवरण	संपत्ति का मालिकाना हक	प्रतिवादी से संबंध	संपत्ति की भौतिक अवस्थिति		Holding Tax भुगतान की स्थिति	
				पंचायत वार्ड सं0	नगरपालिका वार्ड सं0	दिनांक–31.03.2022 तक कुल देयता	देयता के विरूद्ध भुगतान एवं भुगतान की तिथि (साक्ष्य सहित)
01.	Deed No. 6132/2010 06.07-2010	दीपक कुमार	पति		33	123115	Holding संख्या–938/33/2024–25 वित्तीय वर्ष 2022–23 तक का Holding Tax भुगतान रसीद संख्या–9096, दि0, 09.08.2022 द्वारा किया गया।
02.	Deed No. 7839/2011 21.09.2011	दीपक कुमार	पति		33		
03.	Deed No. 5905/2012 18.06.2012	दीपक कुमार	पति	पंचायत–कोथवाँ, मौजा मुस्तफापुर	33		
04	Deed No. 3892/2019 27.03.2019	मेसर्स डी0के0 प्रोपर्टी प्रो0 दीपक कुमार	पति		31	25920	Holding संख्या–94/31/2020–21 का वित्तीय वर्ष 2022–23 तक का Holding Tax भुगतान रसीद संख्या–9077, दि0, 03.08.2022 द्वारा किया गया।
05	Deed No. 3889/2019 27.03.2019	मेसर्स डी0के0 प्रोपर्टी प्रो0 दीपक कुमार	पति		33	4652	Holding संख्या–307/1 यह संपति पूर्व में शिल्पी कुमारी के पति दिपक कुमार के नाम से था और इसका Holding Tax भुगतान रसीद वर्ष–2022–23 तक किया हुआ है। मृत्यु उपरांत दिनांक–18.01.2025 को शिल्पी कुमारी के नाम से नामांतरण किया गया है।
06	Deed No. 11234/2019 10.08.2019	मेसर्स डी0के0 प्रोपर्टी प्रो0 दीपक कुमार	पति		33		
07	Deed No. 11235/2019 10.08.2019	मेसर्स डी0के0 प्रोपर्टी प्रो0 दीपक कुमार	पति		33		
08	Deed No. 3655/2020 17.03.2020	मेसर्स डी0के0 प्रोपर्टी प्रो0 दीपक कुमार	पति		33	Sl No. 4 का शुद्धि–पत्र	
09	Deed No. 9096/2023 27.09.2023	शिल्पी कुमारी	स्वयं		33	–	Holding संख्या–2741/11/2024–25 पंजीकृत विलेख 9096 निर्धारण दिनांक–27.03.2023 के उपरांत वर्ष–2024–25 तक का Holding Tax का भुगतान किया गया।
10	Deed No. 10005, दिनांक–13.12. 2010	श्रीमती शिल्पी देवी	स्वयं	–	33	होल्डिंग कायम होने का साक्ष्य प्राप्त नहीं है।	–

उपरोक्त वर्णित तालिका में वर्णित जमीन के विवरण के परिशीलन से पाया जाता है कि क्र0सं0–01 में वर्णित दस्तावेज संख्या–6132, दिनांक–07.07.2010 के द्वारा खरीदगी

संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–302, खेसरा 756, रकबा 6.25 डी0 जमीन प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के पति दीपक कुमार के नाम से है। उक्त जमीन का विवरण प्रतिवादी शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के शपथ–पत्र में नहीं था।

क्र0सं0–02 में वर्णित दस्तावेज संख्या–7839, दिनांक–21.09.2011 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–302, खेसरा 756, रकबा 12.937 डी0 जमीन प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के पति दीपक कुमार के नाम से है। उक्त जमीन का विवरण प्रतिवादी के शपथ–पत्र में गैर कृषि भूमि अवस्थिति सर्वेक्षण संख्या के अन्तर्गत पति के संपति के क्र0सं0–8 पर अंकित है।

क्र0सं0–03 में वर्णित दस्तावेज संख्या–5905, दिनांक–18.06.2012 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा मुस्तफापुर, थाना नं0–36, खाता संख्या–191, खेसरा 25, रकबा 4.3422 डी0 जमीन प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के पति दीपक कुमार के नाम से है। उक्त जमीन का विवरण प्रतिवादी के शपथ–पत्र में गैर कृषि भूमि अवस्थिति सर्वेक्षण संख्या के अन्तर्गत पति के संपति के क्र0सं0–11 पर अंकित है।

क्र0सं0–04 में वर्णित दस्तावेज संख्या–3892, दिनांक–27.03.2019 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–253, खेसरा 644, रकबा 2.89715 डी0 जमीन मेसेर्स डी0के0 प्रोपर्टी , प्रोपराईटर प्रतिवादी के पति दीपक कुमार के नाम से है। उक्त दस्तावेज का शुद्धी–पत्र क्र0सं0–8 में वर्णित दस्तावेज संख्या–3655, दिनांक–17.03.2020 द्वारा किया गया, जिसमें खाता संख्या–253 के स्थान पर खाता संख्या–291 में सुधार किया गया है।

क्र0सं0–05 में वर्णित दस्तावेज संख्या–3889, दिनांक–27.03.2019 के द्वारा खरदगी संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–253, खेसरा 644, रकबा 3.060 डी0 जमीन मेसेर्स डी0के0 प्रोपर्टीज, प्रोपराईटर प्रतिवादी के पति दीपक कुमार के नाम से है। उक्त दस्तावेज में भी खेसरा 644 का खाता संख्या–253 अंकित है, परन्तु उसे संशोधन हेतु कोई कागजात उपलब्ध नहीं हो सका।

क्र0सं0–06 में वर्णित दस्तावेज संख्या–11234, दिनांक–10.08.2019 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–291, खेसरा 644, रकबा 16.5289 डी0 जमीन मेसेर्स डी0के0 प्रोपर्टीज, प्रोपराईटर प्रतिवादी के पति दीपक कुमार के नाम से है।

क्र0सं0–07 में वर्णित दस्तावेज संख्या–11235, दिनांक–10.08.2019 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–291, खेसरा 644, रकबा 11.0192 डी0 जमीन मेसेर्स डी0के0 प्रोपर्टीज, प्रोपराईटर प्रतिवादी के पति दीपक कुमार के नाम से है।

इस प्रकार पाया जाता है कि क्र0सं0–04 (जिसका शुद्धि–पत्र क्र0सं0–08) क्र0सं0–05(जिसका विक्रय–पत्र में खाता संख्या–253 तथा शपथ–पत्र में खाता संख्या–291 अंकित है), क्र0सं0–06 तथा क्र0सं0–07 पर वर्णित जमीन का विवरण प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के शपथ–पत्र में गैर कृषि भूमि अवस्थिति सर्वेक्षण संख्या के अन्तर्गत पति के संपति के क्र0सं0–12,13,14 तथा 15 पर अंकित है, परन्तु उक्त विवरण में केवल खाता, खेसरा अंकित है। रकबा अंकित नहीं है, जिससे सही पहचान नहीं हो पाती है।

क्र0सं0–09 में वर्णित दस्तावेज संख्या–9096, दिनांक–27.09.2023 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा रूस्तमपुर शाहपुर उर्फ सिकंदरपुर, थाना नं0–17, खाता संख्या–253, खेसरा 644, रकबा 8.413750 डि0 जमीन प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के नाम से है। उक्त खरीदगी प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के नाम निर्देशन–पत्र के जमा करने की तिथि दिनांक–16.09.2022 के बाद की है, जिस कारण उसका विवरण प्रतिवादी के शपथ–पत्र में नहीं है।

प्रतिवादी शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी पर परिवादी सूरज कुमार का आरोप है कि उनके द्वारा दानापुर नगर परिषद् में वार्ड संख्या–27, मकान संख्या–245 का No Dues Certificate दिया था तथा वार्ड संख्या–29 का Holding Tax/ No Dues Certificate नहीं दिया था, जबकि उक्त संपति उनके द्वारा विपिन कुमार सिंह, पिता–श्री कृष्णनंदन प्रसाद सिंह को किराये पर दिया गया है। इस संबंध में जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त वार्ड संख्या– 29 का मकान का Holding Tax प्रतिवादी के पति के दादा राजेन्द्र प्रसाद के नाम से कायम है।

परिवादी सूरज कुमार द्वारा प्रतिवादी शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी पर शपथ–पत्र में फार्चूनर गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या–BR02B0001 की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादी शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के शपथ–पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि उसके खण्ड–''क'', जंग अस्तियों के ब्योरे के कंडिका–06 में फार्चूनर गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या–BR01BB0001 की चर्चा है, न कि रजिस्ट्रेशन संख्या–BR02BB0001 की। परिवहन विभाग के फॉरम–24 के अनुसार BR02BB0001 प्रतिवादी शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के पति दीपक कुमार के नाम से गया जिला में निबंधित है, जबकि BR01BB0001 राजेश कुमार, पिता–राजेन्द्र सिंह, पता–लालजी टोला, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना के नाम से पटना जिला में निबंधित है। शपथ–पत्र में फार्चूनर गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या–BR02BB0001 के स्थान पर फार्चूनर गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या–BR01BB0001 अंकित होना संभवतः टंकण का भूल है, जिसपर किसी ने नाम–निर्देशन के समय ध्यान नहीं दिया। प्रतिवादी शिल्पी कुमारी द्वारा समर्पित कागजात के अवलोकन से पाया गया कि की उनके द्वारा उक्त फार्चूनर गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या–BR02BB0001 दिनांक–20.05.2022 को श्री धीरज कुमार यादव, बल्द–स्व0 ब्रहमदेव सिंह, सा0 ताराचक, पानी टंकी, दानापुर को बिक्री करने का दावा किया गया है। उक्त वाहन का Ownership का हस्तांतरण अभी तक होने का साक्ष्य नहीं है।'' (पत्रांक–469 / निर्वा0, दिनांक–16.02.2026)

उक्त वर्णित जमीन के विवरण के परिशीलन से पाया जाता है कि वर्णित दस्तावेज संख्या–10005, दिनांक–13.12.2010 के द्वारा खरीदगी संपति मौजा रूस्तमपुर, शाहपुर उर्फ सिकन्दरपुर, थाना नं0–17, खाता–302, खेसरा–756, रकबा. 02 कट्ठा 10 धूर जमीन प्रतिवादी श्रीमती शिल्पी देवी के नाम से है। उक्त संपति का विवरण प्रतिवादी शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के शपथ–पत्र में गैर कृषि भूमि अवस्थिति सर्वेक्षण संख्या के अन्तर्गत है, परन्तु उक्त विवरणी में केवल मौजा खाता खेसरा अंकित है। रकबा अंकित नहीं है।

कंडिका संख्या–02 के आलोक में Holding Tax Receipt की Genuineness के संबंध में जाँच करने पर पता चला कि क्र0 सं0–9001 से 9100 तक Holding Tax Receipt दिनांक–24.07.2017 को कमलेश सिंह को कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जबकि क्र0 सं0–9101 से 9200 तथा 9301 से 9400 तक रसीद दिनांक–24.07.2017 को ही सुभाष कुमार को उपलब्ध कराया गया था। बाद में उन्हें कार्यालय में अन्य कार्य आवंटित हो जाने के कारण उक्त क्रम के रसीद में से शेष बचे रसीद को अविनाश कुमार सिन्हा को उपलब्ध कराया गया। इससे स्पष्ट है कि रसीद संख्या–9096, दिनांक–09.08.2022 तथा रसीद संख्या–9077, दिनांक–03.08.2022 अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा ही निर्गत किया गया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक–14.09.2022 को उक्त क्रम की रसीद की राशि कार्यालय में जमा की गई थी, जिसकी प्रविष्टि कैश–बुक में भी है। उक्त Holding रसीद की कार्यालय प्रति श्री अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा जमा नहीं करने के कारण उन्हें कार्यालय नगर परिषद् दानापुर निजामत से पत्रांक–792 / सा0, दिनांक–10.03.2025 द्वारा निर्देश भी दिया गया था, परन्तु नगर कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत द्वारा बताया गया कि की उनके द्वारा अभी तक Holding Tax रसीद की कार्यालय प्रति कार्यालय में जमा नहीं की गई है, जिस कारण उससे मिलान नहीं हो सका। यहाँ उल्लेखनीय है कि नगर कार्यपालक पदाधिकारी, दानापुर निजामत को दिनांक–29.12.2025 को प्रेषित प्रतिवेदन में Holding Tax रसीद संख्या–9096, 9077 का सत्यापन किया गया था तथा उक्त सत्यापन प्रतिवेदन पर अविनाश कुमार सिन्हा का भी हस्ताक्षर है। इससे उक्त Holding Tax रसीद अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा निर्गत किया जाना स्वतः प्रमाणित होता है।

कंडिका–03 के संबंध में जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद्, दानापुर निजामत सहित अन्य चयनित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में Online Survey हेतु ABM Knowledgeware Limited. द्वारा Ref. ABM/REPL/284, दिनांक–17.02.2016 ABM/REPL/334, दिनांक–07.12.2016 द्वारा **'मास्टर डाटा'** की माँग की गई। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2671, दिनांक–24.11.2017 द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में Schedule निकाला गया था तथा उसके उपरांत http://nagarseva .bihar.gov.in पर Holding Tax रसीद निर्गत होना प्रारम्भ हुआ, परन्तु उसके साथ ही Manual Holding Tax रसीद भी निर्गत होता रहा था। उसी क्रम में नगर परिषद् दानापुर निजामत के सशक्त स्थायी समिति की दिनांक–12.05.2018 की बैठक के प्रस्ताव संख्या–06 में राजस्व वृद्धि हेतु 04 प्रतिशत कमिशन पर 04 टी0सी0 की बहाली करने की स्वीकृति दी गयी। सशक्त स्थायी समिति के दिनांक–07.03.2020 के बैठक के प्रस्ताव संख्या–05 में कर वसूली को गति प्रदान करने हेतु वसूली के 04 प्रतिशत कमिशन पर 10 कमिशन कर संग्रहक की सेवा लिये जाने की स्वीकृति दी गई। पुनः सशक्त स्थायी समिति के दिनांक–25.01.2021 के बैठक के प्रस्ताव संख्या–10(ख) में वसूली के 04 प्रतिशत कमिशन के आधार कुल 10 कमिशन कर संग्रहक से कार्य लेने की स्वीकृति दी गई। इससे स्पष्ट है कि नगर परिषद्, दानापुर निजामत में Offline Manual Receipt online होने के बाद में निर्गत किया जा रहा था। उक्त सभी निर्णय पूर्व मुख्य पार्षद, डॉ0 अनु कुमारी के कार्यकाल का है।

उक्त E-municipality परियोजना में कठिनाई के कारण नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् दानापुर निजामत के पत्रांक–392, दिनांक–25.02.2020 द्वारा विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उक्त परियोजना चालू करवाने का अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि परियोजना प्रबंधक, ABM Knowledgeware Limited. को भी दी गई। पुनः नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् दानापुर, निजामत ने पत्रांक–3498, दिनांक–17.08.2022 द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया है कि E-municipality का portal लगभग दो महीने से बंद है तथा उसे चालू करवाने का अनुरोध किया गया। विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–2443, दिनांक–08.09.2022 द्वारा कि E-municipality portal (http://nagarseva.bihar.gov.in) में तकनीकी खराबी के कारण Property Tax का भुगतान, नक्शा की स्वीकृति एवं Trade Licence निर्गत करने संबंधी कार्य Offline mode में करने का निर्देश दिया गया। विभागीय Website तथा अन्य पत्रों के अवलोकन से ऐसा कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हो सका, जिसमें Online Holding Tax निर्गत करने वाले नगर निकाय में Offline Manual Receipt पर पूर्णतः रोक लगा हो। संपति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) अधिनियम–2013 में भी Manual Receipt निर्गत करने पर रोक संबंधी प्रावधान वर्णित नहीं है।

कंडिका–04 के संबंध में पाया गया कि सूचक अविनाश कुमार सिन्हा वल्द श्री ललन किशोर, निवासी जनकधारी लाल रोड, पोस्ट–दानापुर कैन्ट, थाना–दानापुर, जिला–पटना बिहार, पिन–801503 नगर परिषद् दानापुर में कर सहायक Computer Operator के पद पर संविदा पर कार्यरत है। उसके द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, दानापुर के न्यायालय में सूचना संख्या–250/2026 प्रतिवादी शिल्पी कुमारी के विरूद्ध (i) रसीद संख्या–9167, दिनांक–26.08.2022, वार्ड संख्या–29, मकान संख्या–558 (ii) रसीद संख्या–9096, दिनांक–19.08.2022, वार्ड संख्या–33, मकान संख्या–938 (iii) रसीद संख्या–9077, दिनांक–09.08.2022, वार्ड संख्या–31, मकान संख्या–94/31 (iv) रसीद संख्या–9369, दिनांक–08.09.2022, वार्ड संख्या–11, मकान संख्या–640 पर उसका हस्ताक्षर अंकित नहीं होने तथा सूचक का जाली हस्ताक्षर होने संबंधी सूचना दिनांक–10.03.2026 को दायर किया गया है। नगर परिषद्, दानापुर निजामत के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं कागजातों की जाँच करने पर पाया गया कि Holding Tax रसीद संख्या–9001 से 9100 तक, दिनांक–24.07.2017 को कमलेश सिंह तथा Holding Tax रसीद संख्या–9101 से 9200 तथा 9301 से 9400 तक रसीद दिनांक–24.07.2017 को सुभाष कुमार को आवंटित किया गया था। श्री कमलेश कुमार सिंह तथा सुभाष कुमार को कार्यालय में अन्य कार्य आवंटित करने के उपरांत उक्त क्रम का शेष Holding Tax रसीद अविनाश कुमार सिन्हा को ही आवंटित किया गया था तथा उनके द्वारा प्राप्त किया गया था। श्री अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक–14.09.2022 को 9001 से 9100 तक तथा 9122 से 9200 तक का Holding Tax रसीद की राशि जमा किया गया था तथा दिनांक–16.09.2022 को 9323 से 9400 तक का Holding Tax रसीद की राशि जमा किया गया था, जिसकी प्रविष्टि कैश–बुक में है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत को दिनांक–29.12.2025 को प्रेषित प्रतिवेदन में Holding Tax रसीद संख्य–9077 तथा 9096 से संबंधित सत्यापन किया गया है तथा उक्त सत्यापन प्रतिवेदन पर अविनाश कुमार सिन्हा का भी हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त Holding Tax रसीद अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा ही निर्गत है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अविनाश कुमार सिन्हा को आवंटित उक्त वर्णित रसीद कहीं खो गया था तथा उसका दुरूपयोग किसी के द्वारा किया गया था, तो उसके द्वारा इस संबंध में लगभग 3.5 वर्षों में कहीं भी कोई सूचना पूर्व में नहीं दी गई थी।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के अप्रैल, 2016 से मार्च, 2023 की अवधि के अंकेक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–43/2023–24 के कंडिका–04(क) में नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया था कि श्री अविनाश कुमार सिन्हा के द्वारा दिनांक–27.12.2022 के बाद किसी भी प्रकार का Holding संबंधी राजस्व जमा नहीं किया गया है तथा उन रसीदों से प्राप्त राशियों को न तो रोकड़बही में लिया गया था न ही नगरपालिका कोष में जमा किया गया था। उक्त के आलोक में नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा पत्रांक–4118, दिनांक–30.11.2024 द्वारा राशि जमा करने तथा स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। जिसके संबंध में अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक–02.12.2024 को स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उक्त राशि विभिन्न कार्यालय कर्मी के पास था तथा उनके द्वारा जमा करना था। श्री सिन्हा के उक्त जवाब को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। पुनः अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक–08.03.2025 को कर संग्रहण Manual करने हेतु रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया, जिसे नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के पत्रांक–792/सा0, दिनांक–10.03.2025 द्वारा अविनाश कुमार सिन्हा को प्राप्त किये गये, सभी प्रकार के Manual Holding रसीद को अविलम्ब कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के अनुसार अभी तक अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा Manual Holding रसीद को कार्यालय में जमा नहीं किया गया है।

अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, दानापुर के न्यायालय में दायर सूचना–पत्र संख्या–250/2025 में अंकित Holding रसीदों पर अंकित हस्ताक्षर की सत्यता के संबंध में नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दानापुर निजामत के पत्रांक–1188/सा0, दिनांक–30.03.2026 के द्वारा पूछे जाने पर अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा दिनांक–30.03.2026 को ही जवाब दिया गया है कि उक्त सूचना–पत्र उसने बिना मूल रसीदों का सत्यापन किये ही प्रस्तुत कर दिया था, तत्पश्चात् जब उसके द्वारा मूल रसीदों का पुनः अवलोकन किया गया, तो स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त सभी रसीदों पर किये गये, हस्ताक्षर उसी के हैं तथा उनमें किसी प्रकार की जालसाजी नहीं है। साथ ही उसने निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में उसके द्वारा पूर्व में दिये गये उक्त कथन को त्रुटिवश दिया गया, मानते हुए, निरस्त किया जाए तथा यह स्वीकार किया जाए कि उपरोक्त सभी रसीदों पर हस्ताक्षर उसके द्वारा ही किये गये हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सूचक अविनाश कुमार सिन्हा का स्वयं का कथन ही विरोधाभाषी है।'' **(पत्रांक–901/निर्वा0, दिनांक–01.04.2026)**

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वाद संख्या–06/2025, सुरज कुमार बनाम् श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी एवं वाद संख्या–31/2025, धीरज कुमार बनाम् श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी में दिनांक–30.03.2026 को प्राप्त निदेश के आलोक में दिनांक–01.04.2026 को पूरक जाँच प्रतिवेदन दिया गया है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–01.04.2026 को नगर परिषद्, दानापुर निजामत के रोकड़ बही का पुनः गहन अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन के क्रम में पाया गया कि दिनांक–14.09.2022 को अविनाश कुमार सिन्हा के सामने अंकित N.R. No. 9001 to 9100 तथा 9122 to 9200 तथा दिनांक–16.09.2022 को अविनाश कुमार सिन्हा के नाम के सामने अंकित N.R. No. 9323 to 9400 तथा 9401 to 9500 का 'इंक' अन्य लिखावट के 'इंक' से भिन्न है। साथ ही उल्लेखनीय है कि उक्त पृष्ठ पर अविनाश कुमार सिन्हा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा राशि जमा करने पर उसके नाम के सामने N.R. Number नहीं अंकित है। इससे इस बात की संभावना बनती है कि उक्त प्रविष्टि बाद में

जान–बुझकर की गई है तथा यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्रश्नगत 'होल्डिंग टैक्स' रसीद ससमय निर्गत किया गया था तथा उसकी राशि भी जमा कर दी गई थी। इस प्रकार यह पाया जाता है कि प्रश्नगत 'होल्डिंग टैक्स' रसीद अविनाश कुमार सिन्हा द्वारा निर्गत किया गया है, परन्तु संभावना है कि उक्त 'होल्डिंग टैक्स' रसीद निर्गत करने तथा रोकड़ बही में प्रविष्टि में Backdating की गई है।" (पत्रांक–903/निर्वा0, दिनांक–02.04.2026)

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी (तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, दानापुर निजामत, जिला–पटना) द्वारा निर्वाचन वर्ष–2022 में वित्तीय वर्ष–2021–22 तक का अपने सभी Holding एवं परिसंपतियों का Holding Tax जमा किये बिना निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ली तथा निर्वाचित हो गयी, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) का उल्लंघन है एवं उक्त प्रावधानों के अधीन मुख्य पार्षद के पद हेतु निर्रहता का कारण है।"

इस संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:–

"18)(1)(k)- If he has not paid all taxes due by him to the Municipality at the end of the financial year immediately preceding that in which the election is held."

ठीक इसी प्रकार Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के नियम–13 के प्रावधान निम्नवत् है:–

"13. Self-declaration/Self-Assessment-(1) Self- assessing their holding tax and paying it to the Municipality without waiting for a demand notice shall be the responsibility to of the tax payer or owner of the holding."

जिला प्रशासन द्वारा वाद–पत्र में संलग्न किये गये, अभिलेखीय साक्ष्यों का सत्यापन किया गया, तो यह प्रमाणित पाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी के नाम से नगर परिषद्, दानापुर निजामत, जिला–पटना क्षेत्रान्तर्गत Deed No. 10005, दिनांक–13.12.2010 कायम है, जिसका Holding Tax उनके द्वारा अदा नहीं किया गया है, जिसे वह भी स्वीकार करती है, परन्तु उनका बचाव यह है कि उक्त भूखण्ड के Holding Tax हेतु नगर परिषद्, दानापुर निजामत, जिला–पटना द्वारा उन्हें कोई Demand Notice नहीं दिया गया था। इस कारण से उक्त भूखण्ड के Holding Tax को अदा करने हेतु वह Liable नहीं है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–127(3) को समग्रता एवं इससे उद्भूत Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के नियम–13 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित Holding अथवा भूखण्ड के स्वामी को स्वामित्व प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर इसकी सूचना स्वयं नगरपालिका को प्रदान करनी है साथ ही उसका Holding Tax अनिवार्य रूप से बिना माँग–पत्र के स्वयं ही जमा करना है।

उक्त कारणों से प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार नहीं है कि, उनके द्वारा Holding Tax इस कारण से जमा नहीं किया गया, क्योंकि नगर परिषद् दानापुर, निजामत, जिला–पटना के तरफ से उन्हें कोई माँग–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवादी का यह तर्क स्वयं में

विरोधाभाषी है, क्योंकि यदि बिना माँग–पत्र के Holding Tax जमा नहीं करना था, तो अन्य संपत्तियों का भी Holding का Tax जमा नहीं किया जाता, परन्तु दोनों अवसरों पर निर्वाचन के पूर्व एवं निर्वाचन के पश्चात् उनके द्वारा बिना माँग–पत्र के Holding Tax अदा किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि उन्हें Holding Tax जमा किए जाने के नियमों की पूर्ण जानकारी थी।

आयोग प्रतिवादी के द्वारा संदर्भित पूरोहित लाल गुप्ता वाद एवं मैनेजर प्रसाद वाद में पारित न्याय निर्णयों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया तो यह पाया गया कि उक्त दोनों न्याय निर्णय Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rule, 2013 के प्रभावी होने से पूर्व गठित नगरपालिकाओं के वाद से संबंधित था परन्तु वादी द्वारा संदर्भित प्रियम वाद उक्त नियमावली के प्रभावी होने के उपरांत गठित नगरपालिका के वाद से संबंधित था। यही कारण है कि प्रियम वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा प्रतिवादी द्वारा संदर्भित वादों में दिये गये न्याय निर्णय को बदलते हुए नये नियमावली Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rule, 2013 के नियम 13 के अधीन "Self Assessment/ Self Declaration" वरीयता प्रदान की गई है। अतः यह वाद प्रियम वाद से आच्छादित है न कि पुरोहित लाल गुप्ता वाद अथवा मैनेजर प्रसाद वाद से। यह वाद किसमती देवी वाद से भी आच्छादित नहीं है, क्योंकि संपति के Admission के साथ ही किसी प्रकार के Dispute का प्रश्न ही नहीं उठता।

आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा–18 (1) में वर्णित निरर्हता संबंधित प्रावधानों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि सभी प्रावधान किसी न किसी विशेष अन्तर्निहित उद्देश्य/कारणों से प्रेरित है, तथा अधिनियम कि धारा–18(1)(K) भी इसका अपवाद नहीं है। होल्डिंग टैक्स की राशि किसी नगरपालिका के स्वयं के वित्तीय संशाधन का सबसे बड़ा श्रोत होता है। ऐसी स्थिति में विधि निर्माताओं द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों से ऐसी उम्मीद की गयी है कि उन्हें इसका पूर्णरूपेण ज्ञान हो तथा बकाया होल्डिंग टैक्स को अदा कर वह नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले आम नागरिकों के लिए वे प्रेरक एवं आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कर सके।

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी के नाम से कुल दो संपत्तियाँ हैं, जिसमें एक का क्रय नगरपालिका निर्वाचन के उपरांत किया गया है। अतः वह संपत्ति विचारणीय नहीं है, जबकि एक परिसंपत्ति(भूखण्ड) का होल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया गया है जो न केवल बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18(1)(K) का उल्लंघन है वरन यह इन प्रावधानों के अंर्तनिहित उद्देश्यों के भी विपरीत है।

पति से संबंधित परिसंपत्ति उत्तराधिकार के कानून से शासित है। अतः आयोग द्वारा वादी के उन आरोपों पर विचार नहीं किया जा सकता कि उनका Holding Tax भी प्रतिवादी को देना था, अथवा नहीं, परन्तु नामांकन–पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को पति–पत्नी एवं आश्रित संतानों के नाम पर अंकित सभी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज करना आवश्यक होता है, किन्तु यह पाया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में पति के नाम या उनके Proprietorship में कार्यरत प्रतिष्ठान की संपत्तियों का ब्यौरा अंकित नहीं किया गया हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

आयोग द्वारा नगर परिषद्, दानापुर निजामत, जिला–पटना के अभिलेखीय संधारण तथा Holding Tax के संग्रहण से संबंधित क्रियाकलापों में गंभीर अनियमितता एवं त्रुटियाँ पायी गयी है। कुछ प्रमुख गंभीर अनियमितता एवं त्रुटियाँ निम्नरूपेण हैः–

1. विभाग के आदेश के पूर्व से ही Manual Holding Tax Receipt निर्गत किया गया है, जबकि आलोच्य अवधि में केवल Online Tax Receipt निर्गत करने का प्रावधान था।
2. कई Offline Receipt बिना Property I.D./Holding No. दर्ज किये ही निर्गत है, जो धोखाधड़ी एवं Tax Collection Back dating का कारण बन सकते है।

3. Holding Tax के संग्रहण के उपरांत राजकोष में जमा करने में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

4. Holding Tax के संग्रहण में प्रयुक्त रसीद का कर्मियों में किया गया आदान–प्रदान नियमानुकूल नहीं है।

5. Cash Book में की गयी प्रविष्टि में Back dating परिलक्षित होता है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी द्वारा दिनांक–31.03.2022 (वित्तीय वर्ष 2021–22) तक अपने Deed No. 10005, दिनांक–13.12.2010 का होल्डिंग/परिसम्पत्ति का सम्पूर्ण बकाया होल्डिंग टैक्स संवीक्षा की तिथि तक पूर्णरूपेण अदा किये बिना मुख्य पार्षद नगर परिषद् दानापुर निजामत, जिला, पटना के पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18(1)(K) के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार उनके द्वारा नगरपालिका में किसी प्रकार का पद धारण करने हेतु अयोग्यता अर्जित कर ली गई है।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(K) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(K) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित किया जाता है।

(ख) प्रतिवादी द्वारा नामांकन–पत्र में अपने एवं अपने पति के संपत्तियों का सही–सही विवरण अंकित नहीं किया गया है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–445 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना को आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–447 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा की गयी, कार्रवाई से अधिकत्तम 04 सप्ताह में आयोग को भी अवगत कराया जाए।

(ग) नगर परिषद् दानापुर, निजामत, जिला–पटना में अभिलेखों के संधारण तथा Holding Tax के संग्रहण से संबंधित क्रियाकलापों में गंभीर अनियमितता एवं त्रुटियों के प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध तत्कालीन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित है। अतः इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर दी जाए, ताकि वह मामले का संज्ञान लेकर दोषी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
28.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–06 एवं 31/2025 1702 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06 एवं 31/2025 1702 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/श्री पुष्पेश कुमार, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, **पटना** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **पटना**/श्री पुष्पेश कुमार, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, **पटना** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

28/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06 एवं 31/2025 1702 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि– श्री सूरज कुमार, पिता–श्री रामजी प्रसाद मेहता, पता–नासरीगंज, मिथिला कॉलोनी, पठान टोली के पीछे, थाना–दानापुर, **जिला पटना** एवं श्री धीरज कुमार, पिता–श्री चनारिक राय, मोहल्ला–दिघा घाट, अल्पना सिनेमा हॉल के पीछे, थाना–दानापुर, **जिला–पटना** एवं श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी, पति–स्व0 दीपक कुमार, वार्ड सं0–29, नासरीगंज थाना–दानापुर, जिला–पटना (तत्कालीन मुख्य पार्षद, नगर परिषद् दानापुर, निजामत, **जिला–पटना**)बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–06 एवं 31/2025 1702 पटना, दिनांक– 28/4/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई.टी. मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी